भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1162

सोमवार, 27 जुलाई, 2026 / 5 श्रावण, 1948 (शक)

नई श्रम संहिता

1162. श्री प्रदीप पुरोहित:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाना:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किसी विशिष्ट आईटी हस्तक्षेप योजना को तैयार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित अन्य कामगारों की चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं में शामिल किए गए नए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) हाशिए पर रहने वाले समूहों की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए उक्त नई संहिताओं के तहत सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) केंद्र और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के अखिल भारतीय एकीकृत पंजीकरण, लाइसेंसिंग और रिटर्न फाइलिंग में राज्य सरकारों की भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार नए श्रम कानून के तहत कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं, अर्थात् वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 को 21 नवंबर, 2025 से लागू कर दिया है। उक्त संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय नियमों को दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित कर दिया गया है।

चूंकि 'श्रम' समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए भी श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाना अपेक्षित है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पहले ही उपाय कर दिए हैं और श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है अथवा उन्हें प्रकाशित/पूर्व-प्रकाशित कर दिया है तथा कुछेक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नियमों को पूर्व-प्रकाशित करने/अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

(ख): श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) हस्तक्षेप सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, जिसमें डिजिटल अनुपालन और प्रवर्तन प्रणालियों को संचालित करने में राज्यों की केंद्रीय भूमिका है। राज्य सरकारों के लिए अपनी आईटी प्रणाली/पोर्टल को केंद्रीय पोर्टल (श्रम सुविधा पोर्टल और समाधान पोर्टल) के साथ एकीकृत/ऑन-बोर्ड करना आवश्यक है, जिससे सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति और संहिताओं का एकसमान कार्यान्वयन सक्षम हो सके।

(ग) और (घ): चार श्रम संहिताएं वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और उसके समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, कामगारों की स्वास्थ्य देखभाल आदि के संदर्भ में असंगठित कामगारों सहित सभी कामगारों को उपलब्ध संरक्षण को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना करती हैं। इसके साथ ही, यह असंगठित कामगारों सहित कामगारों को उपलब्ध संरक्षण को सुदृढ़ बनाती हैं और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देती हैं।

संहिताओं के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र सहित सभी कामगारों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रमुख हितलाभ प्रदान किए गए हैं:

(i) सभी कामगारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यदशाएं।
(ii) सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करके वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान और रोजगार का औपचारिकीकरण।
(iii) ईएसआईसी के दायरे का देश भर में विस्तार, एक भी कामगार वाले खतरनाक उद्योगों के लिए अनिवार्य कवरेज।
(iv) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों सहित सभी प्रकार के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार।
(v) असंगठित क्षेत्र को दिए जाने वाले हितलाभों में अन्य बातों के साथ-साथ जीवन और निःशक्तता सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि शामिल हैं।
(vi) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष।

(ङ): चार श्रम संहिताएं परिभाषाओं और प्राधिकारों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुगम बनाती हैं तथा केंद्र और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्थापनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इन संहिताओं के कार्यान्वयन से निम्नलिखित मुख्य लाभ मिलने की संभावना है:

- परिभाषाओं की एकरूपता: एक प्रमुख प्रावधान परिभाषाओं में, विशेष रूप से "मजदूरी" और "कर्मचारी" की परिभाषा में एकरूपता लाना है, जिससे सभी संहिताओं में समानता सुनिश्चित हो सके।
- निरीक्षकों को अब अनुपालन में सहायता प्रदान करने तथा नियोक्ताओं और कामगारों का मार्गदर्शन करने के लिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता बनाया गया है।
- अपराधों के शमन का प्रावधान किया गया है।
- संहिताएं अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने का भी उपबंध करती हैं, जिसके अंतर्गत पहली बार किए गए अपराधों के लिए आपराधिक दंड (जैसे कारावास) के स्थान पर सिविल दंड (जैसे मौद्रिक जुर्माना) का उपबध किया गया है।
- सरलीकृत अनुपालन: एकल लाइसेंस, एकल पंजीकरण और एकल विवरणी (रिटर्न) प्रणाली।

(च): चार श्रम संहिताएं जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू हैं। उक्त श्रम संहिताओं के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ जनजातीय क्षेत्रों के संगठित और असंगठित कामगारों सहित सभी कामगारों पर भी लागू हैं।
